

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 8 जनवरी 2025—पौष 18, शक 1946

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2025

आर. क्र. 21-2501901-2024-सत्रह-मेडि.-02.—सुरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (2021 का 47) की धारा 35 की उपधारा (2) तथा (3) एवं सहायता प्राप्त प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (2021 का 42) की धारा 12 की उपधारा (2) व (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी एवं सुरोगेसी के लिए निम्नानुसार राज्य सक्षम प्राधिकारी का गठन करती है, अर्थात्:—

क्र. (1)	सदस्य (2)	पद (3)
1.	प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश	पदेन अध्यक्ष
2.	आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश	पदेन उपाध्यक्ष
3.	श्रीमती पल्लवी खन्ना पत्नी श्री राजीव खन्ना, गुदर मोड़, रीवा, मध्यप्रदेश	सदस्य
4.	अतिरिक्त सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मध्यप्रदेश	सदस्य
5.	डॉ. आराधना गुप्ता, आई. व्ही. एफ. विशेषज्ञ, भोपाल	सदस्य
6.	डॉ. मोनिका सिंह, आई. व्ही. एफ. विशेषज्ञ, भोपाल	सदस्य

R. No. 21-2501901-2024-XVII-Med.-02.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) and (3) of Section 35 of the Surrogacy (Regulation) Act, 2021 (47 of 2021) and sub-section (2) and (3) of Section 12 of the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act, 2021 (42 of 2021), the State Government, hereby, constitutes the State Appropriate Authority for Assisted Reproductive Technology and Surrogacy, namely :—

S. No. (1)	Member (2)	Designation (3)
1.	Principal Secretary, Department of Public Health and Medical Education, Government Madhya Pradesh-	Chairperson-Ex-officio
2.	Commissioner, Public Health and Medical Education, Government of Madhya Pradesh.	Vice-Chairperson-Ex-officio
3.	Ms. Pallavi Khanna, W/o Mr. Rajeev Khanna, Gudhar Moad, Rewa Madhya Pradesh.	Member
4.	Additional Secretary, Law and Legislative Affairs Department, Government of Madhya Pradesh.	Member
5.	Dr. Aradhna Gupta, IVF Specialist, Bhopal	Member
6.	Dr. Monica Singh, IVF Specialist, Bhopal	Member

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
दिनेश कुमार मौर्य, उपसचिव.